



आखिर अभी और कितनों को जान गंवानी पड़ेगी ?

अभिजीत दीपके ने आईआईटी बॉम्बे में छात्र की मौत पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, (ए)। आईआईटी बॉम्बे के पवई कैपस में शुक्रवार को दूसरे वर्ष के एक छात्र की मौत के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया। छात्र एनजी साईस एंड इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। घटना के बाद सीजेपी (छात्र न्याय परिषद) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छात्रों की मानसिक और शैक्षणिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दूर-दराज के आदिवासी इलाकों से लेकर मुंबई जैसे बड़े शहरों तक



निलेकणी की अध्यक्षता वाली उत्तव समिति की कार्यस्थिति की रिपोर्ट पेश करे केंद्र सरकार

नई दिल्ली, (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतियोगी परीक्षा की सुरक्षा व विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी की अध्यक्षता वाली उत्तव समिति की कार्यस्थिति की रिपोर्ट पेश करे। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे के पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव से अब तक हुई प्रगति का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा। विभाग के संयुक्त सचिव समिति के समन्वयक भी हैं। उन्हें यह हलफनामा दो हफ्ते में जमा करना है और मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

ने कहा कि फिजिकल इंस्पेक्शन से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि एजेंसी के पास पर्याप्त मानवश्रम है या

हैं..क्या हमें सांविधिक आधार की जरूरत है? केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट



को बताया कि निलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति ने साझेदारों के साथ व्यापक बातचीत की है। उम्मीद है कि समिति सितंबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। हालांकि, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस कवायद का नतीजा संस्थागत सुधारों के रूप में निकलना चाहिए, कि सिर्फ ऐसी रिपोर्ट के तौर पर जो कामगजों तक ही सीमित रह जाए। पीठ ने कहा कि सबसे जरूरी चीज संस्थानीकरण है। पीठ ने कहा कि समिति का हलफनामा रिकॉर्ड पर आने के बाद वह उसकी सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई करेगी। मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीठ ने परीक्षा प्रणाली को फिर से डिजाइन करते समय संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करने के महत्त्व पर भी जोर दिया। यह कार्यवाही नोट-यूजी से जुड़ी अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों से संबंधित कई याचिकाओं के कारण शुरू हुई थी।

नहीं और जो तरीके लागू किए गए हैं, वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने दूसरे सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों पर मुख्य रूप से निर्भर रहने के बजाय एनटीए में स्थायी मानवश्रम होने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीठ ने कहा कि वहां स्थायी स्टाफ होना चाहिए। साथ ही, दूसरी काम करने वाली संस्थाओं के साथ आपके संबंध, आप उनके साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, कितने आंकड़े

कश्मीर में दशकों पुरानी है अमेरिका की दिलचस्पी: खुफिया रिपोर्टों से हुआ खुलासा

नई दिल्ली, (ए)। आज भले ही अमेरिका कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला बताता है, लेकिन लगभग सात दशक पहले हालात जुदा थे। 1950 के दशक की शुरुआत में, कश्मीर अमेरिका के लिए सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद नहीं था। शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका मध्य और दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र मानता था। हाल ही में सामने आए अमेरिकी दस्तावेजों और खुफिया रिपोर्टों से इसका खुलासा होता है कि कैसे अमेरिका की कश्मीर में गहरी दिलचस्पी थी, और इसकी भौगोलिक स्थिति तथा कई देशों से लगी सीमाओं के कारण यह इलाका वाशिंगटन की नजर में क्यों महत्वपूर्ण था। 1951 की अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट वहां के अधिकारियों, जैसे फ्रैंक कॉलिंस, हॉवर्ड मेयर्स और मिस्टर मैफेट के बीच हुई कश्मीर को लेकर बातचीत का ब्योरा देती हैं। इन रिपोर्टों में कॉलिंस और मैफेट को पाकिस्तान और ब्रिटेन की ओर झुकाव रखने वाला और भारत का आलोचक बताया गया है, जबकि हॉवर्ड मेयर्स को एक अधिक संतुलित अधिकारी के रूप में दिखाया गया है। जनवरी 1951 के गोपनीय अमेरिकी ज्ञापन में कश्मीर विवाद पर



ब्रिटेन और अमेरिका की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें अमेरिका ने ब्रिटेन से पहल करने का आग्रह किया था। इन दस्तावेजों में भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गतिविधियों और प्रस्तावित संविधान सभा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, जिसके प्रस्ताव को अक्टूबर 1950 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पारित किया था और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। दस्तावेजों में जनमत संग्रह का जिक्र है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि यदि अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान पर सैनिकों, नागरिकों और कबायली लड़कों को वापस बुलाने का दबाव डालें और

आजाद कश्मीर फोर्स को खत्म किया जाए, तब जनमत संग्रह संभव हो सकता है। दूसरी ओर, भारत का तर्क था कि पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों की वापसी पहले होनी चाहिए। यह मूल मतभेद ही इस मुद्दे को सुलझने नहीं दे रहा था। खुफिया दस्तावेज शेख अब्दुल्ला और तत्कालीन अमेरिकी राजदूत लॉय हेंडरसन की बातचीत का उल्लेख करते हैं। अब्दुल्ला ने आजाद कश्मीर (स्वतंत्र कश्मीर) देखने की इच्छा व्यक्त कर कहा कि कई कश्मीरी भी ऐसा चाहते थे। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते आवश्यक हैं।

छात्र अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने इसे छात्रों से जुड़ा व्यापक संकट बताते हुए सवाल किया कि छात्रों की जिंदगी को प्राथमिकता देने से पहले आखिर कितने और छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी।

आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक, मृत छात्र को शुक्रवार को एक परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। संस्थान ने बताया कि छात्र ने परीक्षा का प्रश्नपत्र चेटजीपीटी पर अपलोड कर उसके उत्तर हासिल करने की कोशिश की थी। परीक्षा

के दौरान सामने आई इस घटना के बाद छात्र की मौत हो गई। वहीं कहा जा रहा है कि आईआईटी संस्थान ने इस मामले में स्पष्ट किया कि छात्र के खिलाफ घटना को लेकर कोई औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। छात्र की मौत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षा व्यवस्था, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अभिजीत दीपके की सवाल करती हुई यह प्रतिक्रिया भी इसी व्यापक संदर्भ में सामने आई है।

निठारी कांड: सुरेंद्र कोली की मौत पर उठे सवाल, राज दफन होने का डर

नई दिल्ली, (ए)। नोएडा के निठारी गांव ने दो दशक पहले अपने बच्चों के गायब होने का जो भयावह दर्द झेला था, शुक्रवार को सुरेंद्र कोली की मौत ने उस दर्द को फिर से ताजा कर दिया है। निठारी कांड के मुख्य आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोली की कथित आत्महत्या पर गहरा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अपनी बेटी ज्योति को खो चुके सुनीता और झब्बू लाल जैसे परिवारों ने कोली की मौत की गहन जांच की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें कोई गहरी साजिश हो सकती है।

झब्बू लाल और सुनीता की बेटी ज्योति भी उन बच्चों में शामिल थी, जो वर्ष 2005-06 के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता हुई थीं। कोली की मौत की खबर सुनते ही सुनीता ने कहा, कोली ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया है। अगर उसे आत्महत्या करनी होती तो वह जेल में ही कर लेता। उसकी मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है। झब्बू लाल ने भी आशंका व्यक्त की कि कोली के पास निठारी कांड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते थे और वह भविष्य में कोई बड़ा खुलासा कर सकता था। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जब तक मोनिर सिंह पंडेर को फांसी नहीं मिलती, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। निठारी निवासी ग्रामीणों ने बताया कि दिसंबर 2006 में नाले में एक मासूम का पंजा मिलने के बाद ही घटनाओं की कड़ियां जुड़ने लगीं और सेक्टर-31 स्थित डी-5 कोठी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई थी। इस घटना के बाद से डी-5 कोठी को लेकर ग्रामीणों के मन में आज भी एक गहरा डर समाया हुआ है। ज्योति के गायब होने के बाद, निठारी में एक के बाद एक बच्चों और युवतियों के गायब होने की घटनाएं सामने आती गईं। दिसंबर 2006 में डी-5 कोठी के आसपास नाले से मानव अवशेष मिलने के बाद यह पूरा मामला देशभर में सुर्खियों में आया। जांच में मोनिर सिंह पंडेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली के नाम सामने आए थे। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से कई मामलों में राहत मिलने के दौरान कोली की पत्नी शांति देवी ने डासना जेल में उससे मुलाकात की थी, जहाँ कोली ने बेगुनाही की लड़ाई लड़ने की बात कही थी। कोली के परिवार ने उससे दूरी बना ली थी, हालांकि एक बार 2014 में उसकी मां कुंती देवी उससे मिलने पहुंची थीं, जहां कोली अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए रो पड़ा था। निठारी में किसानों 19 मासूमों की हत्या की, यह रहस्य 20 वर्षों में भी पूरी तरह नहीं खुल सका। तमाम जांचों और दावों के बावजूद यह पता नहीं चल सका कि आखिरकार खूनी कोठी में किसने मासूमों को मारा और पकाया था।

ममता के समर्थन के तुरंत बाद कांग्रेस उम्मीदवार गिरफ्तार कोलकाता(ए)। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में उपचुनाव से ठीक पहले सियासी बवाल तेज हो गया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी का बड़ा कारण सामने आया है, लेकिन अहम बात यह है कि यह कार्रवाई तुणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिए जाने के तुरंत बाद हुई है, जिससे इस घटना को लेकर सियासी गलियां में हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए कहा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है। यह लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सुभंकर सरकार ने इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि मिलन प्रधान को हत्या के एक पुराने मामले में हिरासत में लिया गया है, हालांकि उन्हें इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि मिलन नंदीग्राम भूमि आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे और उनके खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज थे, लेकिन यह सवाल उठाना कि उन्हें आज ही क्यों गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि हमने, यानी डेमोक्रेटिक तुणमूल कांग्रेस ने मिलन प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिन पर हत्या के तीन मामले दर्ज हैं। चुनाव के दौरान वारंट पर अमल करना अनिवार्य है। ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के माध्यम से इस गिरफ्तारी की टाईमिंग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देते ही, उनके प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी टाईमिंग गंभीर सवाल उठाती है और यह भाजपा का वही पुराना तरीका है: कोई पुराना मामला निकाल लाओ। लेकिन अभी ही क्यों? ठीक हमारे समर्थन के ऐलान के तुरंत बाद। ममता का यह बयान भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप को और मजबूत करता है। दरअसल, इस घटनाक्रम से ठीक पहले तुणमूल कांग्रेस की आपसी लड़ाई के बीच नंदीग्राम उपचुनाव के लिए ममता खमेरी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया था।

नई सोच का अखबार

सपा तीन-तिकड़म के बावजूद भी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकी

नई दिल्ली, (ए)। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मौर्य का ट्वीट बीजेपी नेता प्रोफेसर रामाश्रय कुशवाहा के सपा में शामिल होने के बाद सामने आया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर अखिलेश को साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की उनकी रणनीति की याद दिलाई।

मौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि तीन-तिकड़म के बावजूद सपा बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकी। इस बार भी उनकी सभी रणनीति और जातीय समीकरण फेल होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की टैट्टीक जीत का दावा भी कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में 2022 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए लिखा- उस समय सपा ने राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के साथ गठबंधन किया था और कई वजूद वाले नेताओं को अपने दल में शामिल कराया था। इसके बावजूद वह बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकी थी। सपा के सभी सामाजिक और



राजनीतिक समीकरण धरे के धरे रह गए थे।

केशव ने लिखा- सपा के पास न कोई टुट्टिकोण है और न विश्वसनीय नेतृत्व। जनता का भरोसा तो उसमें कतई नहीं है इसलिए इस बार भी उसका जातीय समीकरणों और खोखले नारों का खेल धरा का धरा रह जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा- कुल मिलाकर लब्बोलुआब यह है कि सपा के अखिलेश यादव की कोई भी पैतरेबाजी तीसरी बार भी बीजेपी की बाजी पलट नहीं पाएगी। यूपी में बीजेपी

की हैट्टिक तय है और तीसरी बार भी कमल ही खिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य का ये पोस्ट ऐसे समय में सामने आया है जब बीजेपी के नेता और 6 बार के मंत्री रहे प्रोफेसर रामाश्रय कुशवाहा सपा में शामिल हो गए हैं। 2013 में कुशवाहा ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। कुशवाहा के अलावा रालोद, बसपा, निषाद पार्टी, लेखपाल संघ, अपना दल और एआईएमआईएम समेत अलग-अलग संगठनों से जुड़े स्थानीय नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है।

सिंधु संधि पर भारत का फैसला पाक प्रायोजित आतंकवाद के जवाब में जायज कदम

नई दिल्ली, (ए)। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र में आयोजित कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं ने दिल्ली के सिंधु जल संधि को निर्बंधित करने को सही ठहराया। गुरुवार को इस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि भारत का यह फैसला दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसकी बदनीयती के जवाब में जायज कदम था। यह पाकिस्तान के लिए एक झटका है क्योंकि उसकी कोशिश इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु प्रणाली की नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे। बीते साल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निर्बंधित कर दिया था। भारत ने इस कदम के पीछे का मकसद पाकिस्तान के आतंक को समर्थन देना बताया है। सामुदायिक जल अधिकार और सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की जरूरत विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बुर्सेस स्थित साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के रिसर्च डायरेक्टर सीगफ्राइड वुल्फ ने कहा कि भारत को 1960 की संधि की समीक्षा की मांग करने का पूरा अधिकार है। ये जायज है क्योंकि पाकिस्तान के व्यवहार ने संधि की प्रस्तावना में बताए गए समझौते के मकसद, उद्देश्य और भावना को कमजोर किया है।

वुल्फ ने इस संधि को भारत की तरफ से दी गई एक स्वीच्छिच्छ रिखायत



बताया जो एक संरचनात्मक असंतुलन पर आधारित थी। उन्होंने पाकिस्तान के उस दावे को इंजीनियरिंग मिथक करार दिया, जिसमें उसने कहा है कि भारत नदियों के बहाव को रोक रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी नदियों पर बनी भारतीय परियोजनाएं पानी की खपत नहीं करतीं और पानी को आगे भेजने से पहले बिजली पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का अभियान भारत के विकास में देरी करने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे बदनाम करने और पानी के उस संकट से ध्यान भटकाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जो पूरी तरह से खुद पैदा किया गया है। इसकी जड़ें पंजाब के दबदबे, सामंती जमींदारी व्यवस्था, शहरी झुकाव और नहरों के खस्ताहाल बुनियादी ढांचे में हैं।

लंदन में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया ने कहा कि पानी का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। इससे पाकिस्तान के

सैन्य तंत्र ने सिंध को वंचित रखा है। सिंध में कोटरी के पास सिंधु नदी का बहाव ऊपर की ओर नहरों के जरिए पानी मोड़े जाने के कारण बहुत कम हो गया है। भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का 65 साल पुराने समझौते को निर्बंधित करने का फैसला सही था। एक भारतीय एनजीओ ने तर्क दिया कि इस क्षेत्र में पानी की सुरक्षा से जुड़ी बदलती स्थितियों को देखते हुए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का आज के मानवाधिकारों के नजरिए से फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एनजीओ ने कहा कि सिंधु संधि लंबे समय से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक अहम उदाहरण होने के बावजूद छह दशक में पानी की सुरक्षा से जुड़े हालात बदल गए हैं। इसमें आबादी में बढ़ोतरी, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पीछे हटने, भूजल के कम होने और नदियों के बहाव में लगातार अनिश्चितता जैसे कारण हैं।

आतंकियों के मददगारों पर एक्शन, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

जम्मू (ए)। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए राजौरी पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मदद करने का आरोप है। राजौरी पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, जिले के धर्मसाल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 95/2026 से जुड़े टेरेर मॉड्यूल की जांच में यह खुलासा हुआ कि कोट चरवाल के रहने वाले ये तीनों व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मॉड्यूल का हिस्सा थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद आजम, जाकिर हुसैन और मोहम्मद मुरताक के रूप में हुई है। जांच के मुताबिक, इन आरोपियों ने कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन से जुड़े आतंकवादियों को पनाह दी और उनकी आवाजही में मदद की। उन आतंकवादियों की मदद करने, उन्हें पनाह देने और उनकी आवाजही में सहायता करने में उनकी कथित भूमिका भी सामने आई है, जो बाद में 2023 में रियासी के चसाना में एक मुठभेड़ में मारे गए थे। यह दर्शाता है कि ये न केवल आतंकी गतिविधियों में प्रवेश रूप से शामिल थे, बल्कि सीधे तौर पर आतंकियों को सुर्क्षित पनाहगाह और आवागमन की सुविधा प्रदान कर रहे थे। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर कई आतंकवादी समूहों को पनाह और लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान की थी। उन्होंने राजौरी-रियासी जिलों तथा पीर पंजाल क्षेत्र से होते हुए शोपियां तक आतंकवादियों की आवाजही में भी मदद की थी। यह जानकारी इस बात की ओर इशारा करती है कि यह एक संगठित नेटवर्क था जो क्षेत्र में सक्रिय आतंकी समूहों को व्यापक समर्थन दे रहा था। जांच के दौरान आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर एक पिस्तौल (मैगजीन और गोला-बारूद के साथ) और दो चीनी ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। इन बरामदगीयों से उनके आतंकी लिंक की पुष्टि होती है और आगे की जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। फिलहाल, इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है, और पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि आतंकियों के मददगारों के इस पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त किया जा सके।

